बिहार सरकार
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग
(युवा कार्य एवं खेल निदेशालय)

राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेताओं और खेल प्रशिक्षक को पुरस्कार हेतु– बिहार राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान प्रदान करने की योजना

अधिसूचना

पटना, दिनांकः....04.07.07.

संख्या– 2/ब1–17/2006–........43......../ राज्य सरकार के द्वारा राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों द्वारा राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत एवं सम्मानित करने हेतु एक समारोह राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें उत्कृष्ट खिलाड़ी/दल के साथ–साथ प्रशिक्षक भी शामिल है। प्रतिवर्ष राज्य सरकार द्वारा इस योजना हेतु राशि उपबंधित किया जाता है।

इस उपबंधित राशि का अधिकत 10 प्रतिशत विकलांग खेलों में उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ियों के लिए होगा। वेटरन खिलाड़ियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

उद्देश्य –

यह पुरस्कार योजना तत्काल बीते वर्ष में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के विजेताओं के भोजन, प्रशिक्षण, तैयारी पर हुए खर्च और खेलों के प्रति उनके समर्पण एवं सेवा के कारण उनके द्वारा उठाई जाने वाली तकलीफों की क्षतिपूर्ति के लिए मुख्यतः प्रारम्भ किया गया है। इसका उद्देश्य तैयारी के दौरान सामने आई मुश्किलों से होने वाली तकलीफों को कम करना भी है। पुरस्कार का दूसरा उद्देश्य उत्कृष्ट खिलाड़ियों को और ऊंची उलब्धि के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करना तथा युवा पीढ़ी को खेलों को कैरियर के रूप में अपनाने के लिए आकर्षित करना है। ये पुरस्कार निश्चित रूप से पदक विजेताओं को उनके सक्रिय खेल जीवन, जो सामान्यतः बहुत छोटा होता है, की समाप्ति के पश्चात् सम्मानपूर्वक एवं आरामदायक जीवन यापन करने में सहायता करेंगे। ये पुरस्कार पदक विजेताओं को राज्य की ओर से सम्मान एवं प्रशंसा के भी प्रतीक हैं, चूँकि उन्होंने राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर खेल के क्षेत्र में राज्य का ध्वज ऊँचा उठाया है और राज्य/देश के लिए गौरव अर्जित किया है।

कठिन एवं सघन प्रतिस्पर्द्धात्मक खेल जीवन की समाप्ति के पश्चात् विशेष खेल पुरस्कार पदक विजेताओं को गौरव एवं सम्मान दिलाते हैं, जिसके तहत् वे समाज में सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकते हैं।

2. **आवेदन तथा उसपर विचार**

विभाग द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे।

विभाग द्वारा गठित समिति द्वारा पुरस्कार एवं सम्मान हेतु तैयार मार्गदर्शिका के आलोक में आवेदनों पर विचार किया जायेगा और निर्णय लिया जायेगा।

3. <u>पात्र खेल विधायें</u> –

राज्य खेल पुरस्कार निम्नलिखित खेल विधाओं में पदक एवं सम्मान जीतने पर ही उपलब्ध होंगे। जहाँ प्रतिस्र्द्धा बहुत होती है और खिलाड़ी उत्कृष्टता पाने की इच्छा से ही मैदान पर उतरता है और पदक पाना काफी कठिन है। अतएव खेल ओर प्रतियोगिताओं की अन्य विधाएँ इसमें इसलिए शामिल नहीं की गई ताकि योग्य उपलब्धियों को ही पुरस्कार दिये जाएं।

(क) ऑलम्पिक, एशियाई और राष्ट्रमंडल खेल विधाएँ

(ख) शतरंज (ग) क्रिकेट (घ) केन्द्र सरकार के चयनित विधाओं की सूची (श्रेणी ''ए'' तथा ''बी) बिलियर्ड एवं स्नूकर।

4. <u>राज्य खेल पुरस्कार (अन्तर्राष्ट्रीय स्तर)</u>

राज्य अन्तर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को निम्नवत् वर्गीकृत किया गया है और इसे उपलिब्धयों के स्तर और प्रतिष्ठा को जोड़ा गया है।

(1) ऑलम्पिक, एशियाई एवं राष्ट्रमण्डल खेल विधाएँ :–

(क) <u>व्यक्तिगत प्रतियोगिता</u> :– ये ऐसी प्रतियोगिताएँ हैं जिनमें प्रतिस्पर्द्धा व्यक्तियों के बीच होती है। इसके लिए खेल पुरस्कार निम्न तालिका के अनुरूप दिया जायगा।

खेल / चैम्पियनशिप का नाम	राशि		
	स्वर्ण पदक / प्रथम स्थान	रजत पदक / द्वितीय स्थान	कांस्य पदक / तृतीय स्थान
1. ऑलम्पिक और सरकारी विश्व चैम्पियनशिप जीतने के लिए	5.00 लाख	3.00 लाख	2.00 लाख
2. एशियाई खेल / सरकारी एशियाई चैम्पियनशिप / राष्ट्र मंडल खेल और सरकारी राष्ट्र मंडल चैम्पियनशिप	3.00 लाख	2.00 लाख	1.00 लाख
3. एफ्रोएशियन खेल / सैफ गेम	1.00 लाख	0.75 लाख	0.50 लाख

(ख) <u>टीम प्रतियोगिताएँ</u> :–

ये ऐसी प्रतियोगिताएँ हैं, जिनमें प्रतियोगिता टीमों के बीच होती है। प्रत्येक टीम में एक से अधिक व्यक्ति सदस्यों के रूप में होते हैं। इनके लिए खेल पुरस्कार निम्नरूप से निर्धारित राशि के होंगे :–

टीम सदस्यों की संख्या	संबंधित प्रतियोगिता और पदक के लिए उपर उल्लिखित व्यक्तिगत खेल पुरस्कार राशि का उतना ही गुणा
1. दो सदस्यों की टीम	1–1 / 2 गुणा
2. 3 अथवा चार सस्यों की टीम	2 गुणा
3. 5 से 10 सदस्यों की टीम	3 गुणा
4. 10 से अधिक सदस्यों की टीम	5 गुणा

नोटः— उपर्युक्त रूप से निर्धारित पुरस्कार राशि अन्तर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार रिजर्व खिलाड़ियों सहित टीम के सदस्यों में बराबर—बराबर बांटी जायगी।

(ग) **शतरंज** :—

चैम्पियनशिप में स्थिति अथवा पदक प्राप्त करने के अलावा निश्चित प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कुछ सम्मान भी दिये जाते हैं, जो कि शतरंज के खेल में एक विशिष्टता है। इसके लिए खेल पुरस्कार न केवल अन्तर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप जीतने के लिए उपलब्ध होंगे अपितु एफ0आई0डी0ई0 (अन्तर्राष्ट्रीय शतरंज संघ) द्वारा प्रदान किये गये सम्मानों को जीतने के लिए भी उपलब्ध होंगे। शतरंज में कई बार प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान के लिए दो या अधिक व्यक्तियों अथवा टीमों के बीच टाई होती है। ऐसी स्थिति में टीम की राशि, राशि सहित सम्पूर्ण .पुरस्कार (निम्नवत निर्धारित) राशि .आधी हो जायगी। विशेष खेल पुरस्कार रैपिड शतरंज में उपलब्धि के लिए नहीं दिये जायेंगे।

शतरंज में खेल पुरस्कार निम्नवत होंगे —

1. व्यक्तिगत चैम्पियनशिप	विजेता	उपविजेता
सरकारी ओपेन विश्व चैम्पियनशिप	5.00 लाख	3.00 लाख
एशियाई और राष्ट्रमंडल चैम्पियनशिप	(4 (i) क में निर्धारित दर पर)	
2. टीम चैम्पियनशिप	धनराशि	
(i) सरकारी (official) शतरंज ऑलिम्पियाड	विश्व चैम्पियनशिप के बराबर माना जायेगा और खेल पुरस्कार का मान दण्ड और धनराशि और उनका वितरण उपर्युक्त कंडिका —(ख) में दिये गये तालिका के अनुसार होगा।	
(ii) सरकारी एशियाई और राष्ट्रमंडल खेल	पुरस्कार का मानदण्ड और धनराशि एवं उसका वितरण उपर्युक्त कंडिका (ख) के अनुसार होगा।	

(घ) **बिलियर्ड एवं स्नूकर खेल**—

सिर्फ व्यक्तिगत अमैच्योर खेल प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन हेतु निम्नप्रकार से पुरस्कारों के पात्र होंगेः—

चैम्पियनशिप	विजेता	उपविजेता	तृतीय स्थान
विश्व अमैच्योर चैम्पियनशिप	2.00 लाख	1.00 लाख	
अमैच्योर एशियाई / राष्ट्रमंडल चैम्पियनशिप	1.00 लाख	0.75 लाख	0.50 लाख

(ड.) **क्रिकेट (अन्तर्राष्ट्रीय) टीम प्रतियोगिता**

	विजेता	उपविजेता
वर्ल्ड कप क्रिकेट	5.00 लाख	3.00 लाख
एशिया कप	2.00 लाख	1.00 लाख

(च) **विकलांग खिलाड़ी हेतु प्रतियोगिता**

प्रतियोगिता		स्वर्ण प्रथम	रजत द्वितीय	कांस्य तृतीय
स्पेशल ऑलम्पिक (अन्तर्राष्ट्रीय / विश्व मैराथन दौड़ / एशियाई खेल / राष्ट्रमंडल खेल (मानशिक / शारीरिक रुप से विकलांग व्यक्तियों के लिए)	सिनियर	11000 / —	5000 / —	3000 / —
	जुनियर	7000 / —	4000 / —	2000 / —
	सब जुनियर	5000 / —	4000 / —	1500 / —

(5) **राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार**

प्रतियोगिता		स्वर्ण प्रथम	रजत द्वितीय	कांस्य तृतीय
(क) राष्ट्रीय खेल		51000.00	31000.00	21000.00
(ख) राष्ट्रीय चैम्पियनशिप	सिनियर	31000 / —	21000 / —	11000 / —
	जुनियर	21000 / —	11000 / —	7000 / —
	सब जुनियर	11000 / —	7000 / —	5000 / —
(ग) राष्ट्रीय स्कूली खेल	सिनियर वर्ग	10000 / —	7000 / —	5000 / —
	जुनियर वर्ग	7000 / —	5000 / —	3000 / —
(घ) अखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालय चैम्पियनशिप		10000.00	7000.00	5000.00
(ड.) राष्ट्रीय महिला खेल महोत्सव		10000.00	7000.00	5000.00
(च) अखिल भारतीय ग्रामीण खेल		7000.00	5000.00	3000.00
(छ) राष्ट्रीय स्पेशल ऑलिम्पिक / विकलांग खेल	सिनियर	7000 / —	5000 / —	3000 / —
	जुनियर	5000 / —	3000 / —	2000 / —
	सब जुनियर	3000 / —	2000 / —	1500 / —

(6) **पुरस्कार हेतु खिलाड़ियों की पात्रता निम्नवत है :—**

(क) खिलाड़ियों का गत वर्ष (अप्रैल से मार्च तक) की प्रतियोगिता में प्रदर्शन।

(ख) पुरस्कार उन्हीं खिलाड़ियों को प्राप्त होंगे जिन्होंने राज्य की ओर से प्रतिनिधित्व किया हो।

(ग) पुरस्कार प्रत्येक पदक के लिए देय होगा।

(7) मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का मात्र प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों (जो कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सके) को राष्ट्रीय स्तर के विजेता के बराबर पुरस्कार राशि देय होगा। (इसका निर्णय पुरस्कार हेतु गठित समिति द्वारा किया जायेगा)।

(8) <u>खेल प्रशिक्षक प्रोत्साहन पुरस्कार</u> :–

(i) **<u>प्रशिक्षकों की पात्रता</u>**– जो एन0आई0एस0 डिप्लोमा प्रशिक्षित/अन्तर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि प्राप्त/प्रतिनिधित्व करने वाले वरीय खिलाड़ी

इस योजना के अन्तर्गत के प्रशिक्षक जिन्होंने पदक विजेताओं को प्रशिक्षित किया है वे भी नकद पुरस्कार के पात्र होंगे। प्रशिक्षकों के लिए पुरस्कार राशि निम्नवत् होंगे :–

(क) **व्यक्तिगत प्रतियोगिता**– खिलाड़ी (जिसे प्रशिक्षक ने जीतने हेतु प्रशिक्षित किया) द्वारा प्राप्त पुरस्कार का 30 प्रतिशत राशि।

(ख) **टीम प्रतियोगिता**– एक खिलाड़ी द्वारा प्राप्त पुरस्कार राशि का 50 प्रतिशत।

9. **राज्य श्रेष्ठ खेल सम्मान**

निर्धारित जिस अवधी के आधार पर खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किया जायेगा उसी अवधी में खेल के पुरस्कारों में से सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि वाले एक या अधीक (सरकार/समिति द्वारा निर्धारित) खिलाड़ी को जरासंघ एवार्ड हेतु चुना जायेगा। जिसे अतिरिक्त 51000/– नकद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र, ब्लेजर सूट, टाई/स्कार्फ, शर्ट प्रदान किया जायेगा।

10. **वरीय खेल प्रशिक्षकों के लिए ''राज्य विशिष्ट खेल प्रशिक्षक सेवा सम्मान''**

वैसे वरीय खेल प्रशिक्षक जिनके खिलाड़ी लगातार उनसे प्रशिक्षण प्राप्त किया हो और उनके द्वारा प्रशिक्षित खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियाँ हासिल किया हो, को इस सम्मान से जीवन में एक बार सम्मानित किया जायेगा। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से 51000/– रु0 पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र, ब्लेजर सूट, टाई/स्कार्फ, शर्ट प्रदान किया जायेगा।

11. इस सम्बन्ध में निर्गत पूर्व के मागदर्शिका को निरस्त किया जाता है।

समिति–

उपरोक्त पुरस्कार/एवार्ड हेतु निम्नांकित सदस्यों की गठित समिति निर्णय लेगी :–

1.	सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	–	अध्यक्ष
2.	महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण	–	उपाध्यक्ष
3.	निदेशक (छात्र एवं युवा कल्याण)–सह– संयुक्त सचिव	–	सदस्य
4.	निदेशक सह सचिव, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण	–	सदस्य
5.	बिहार ऑलिम्पिक संघ के अध्यक्ष	–	सदस्य
6.	एक वरीय राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय पुरूष खिलाड़ी	–	सदस्य
7.	एक वरीय राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी	–	सदस्य
8.	निदेशालय के एक वरीय खेल तकनिकी पदाधिकारी	–	सदस्य
9.	एक वरीय खेल प्रशिक्षक	–	सदस्य

बिहार सरकार
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना
(छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय)
बिहार राज्य खेल पुरस्कार/सम्मान हेतु आवेदन का प्रपत्र

1. आवेदक का नाम –
   (साफ अक्षरों में)
2. पिता का नाम–
3. स्थायी पता–
4. पूरा पत्राचार का पता–
5. जन्म तिथि–
   (दस्तावेजी सबूत के साथ)
6. वर्तमान व्यवसाय का नाम एवं
   नियोजक का पूरा पता–
7. खेल जिसमें भाग लिया–
8. प्रतिभागिता एवं उपलब्धियों का ब्योरा–
   (गत अप्रैल, 06 से मार्च, 07 के बीच)

1	प्रतियोगिता का नाम	वर्ष/तिथि	स्थान	उपलब्धियाँ/स्थान
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

(कृपया प्रतियोगिता एवं उपलब्धियों का प्रमाण पत्र(अभिप्रमाणित) संलग्न करें।

9. इससे पूर्व राज्य सरकार से प्राप्त खेल सम्मान प्राप्त किया है अथवा नहीं यदि हाँ तो ब्यौरा दें

वर्ष	खेल	किस स्तर का सम्मान प्राप्त हुआ	राशि

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

अनुशंसा

राज्य के खेल संघ के अध्यक्ष/सचिव/जिला खेल पदाधिकारी या लि स्तर के अन्य विभागीय पदाधिकारी / डीन (छात्र एवं चुवा कल्याण) से संबंधित विश्वविधालय की अनुशंसाः

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दर्शाया गया खेल उपलब्धि एवं अन्य कागजात/विवरण सही है और मै इन्हें खेल पुरस्कार हेतु अनुशंसा करता हूँ।

हस्ताक्षर

नामः

अनुशंसा करने वाले पदाधिकारी का पत्राचार पता

दूरभाष सं0

तिथिः

ज्ञापांक 852 / पटना, दिनांकः 04.07.07

प्रतिलिपि— अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि 100 मुद्रित प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

हेमचन्द प्रसाद

सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार सरकार
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग
(युवा कार्य एवं खेल निदेशालय)

बिहार राज्य खिलाड़ी कल्याण कोष
मार्गदर्शिका – 2006–07

अधिसूचना

पटना, दिनांकः .04.07.07

संख्या–2/ब1–17/2006– ..44......../ राज्य सरकार द्वारा योजना मद से प्रतिवर्ष खिलाड़ी कल्याण कोष के मद में राशि की स्वीकृति प्रदान की जाती हे। इस योजना के तहत् राज्य की खिलाड़ियों को सहायता अनुदान स्वीकृति हेतु संशोधित मार्गदर्शिका/निर्देशिका निम्नवत् रूप से निर्धारित किया जाता है :–

योजना का नाम एवं क्षेत्राधीन :–

1. यह योजना **''बिहार राज्य खिलाड़ी कल्याण कोष''** बिहार राज्य में लागू होगा।

बेरोजगार खिलाड़ी ही इसमें आवेदन कर सकते हैं।

2. **परिभाषा** –

इस योजना में यदि संदर्भ में अन्यथा आपेक्षित हो।

(क) ''योजना'' का अर्थ है खिलाड़ी के लिए राज्य कल्याण कोष के लिए योजना।

(ख) ''समिति'' का अर्थ है खिलाड़ियों के लिए राज्य कल्याण कोष से स्वीकृती हेतु गठित समिति।

(ग) ''अभावग्रस्त परिस्थितयाँ'' का अर्थ है वह परिस्थिति जिसके अन्तर्गत खिलाड़ी परिवार की कोई आय न हो और विपत्ती में हो या सभी स्त्रोंतों से उसके परिवार की आय 5000/– रु0 प्रतिमाह से अधिक न हो या ऐसी ही कोई परिस्थितियाँ जिसे समिति अभावग्रस्त परिस्थिती समझती हों,

(घ) ''खेल'' का अर्थ है कि खेलकूद, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा विधिवत् मान्यता प्राप्त राज्य खेल संघ विद्यमान नहीं हैं, भी योजना के अन्तर्गत शामिल हो सकते हैं, यदि कोष को सामान्य समिति द्वारा निर्णय लिया जाता है।

(ड.) ''खिलाड़ी'' का अर्थ है, व्यक्ति जो राष्ट्रीय स्तर (सिनियर, जुनियर, सब जुनियर, स्कूली, ग्रामीण खेल, महिला खेल) पर खेल प्रतियोगिता में भाग लेता है और उत्कृष्टता प्राप्त करता है।

(च) ''उत्कृष्ठ खिलाड़ी'' का अर्थ है ऐसा खिलाड़ी, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम 16 में या टीम प्रतियोगिता में आठवें स्थान के भीतर स्थान प्राप्त किया है या अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कम से कम देश का प्रतिनिधितव किया है या राज्य चैम्पियनशिप में व्यक्तिगत स्पर्द्धा में

प्रथम 4 स्थापन पर टीम स्पर्द्धा में विजेता/उप विजेता स्थान प्राप्त किया हो या राज्य का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय प्रतियोगिता में किया हो ।

(छ) ''राष्ट्रीय प्रतियोगिता'' का अर्थ है भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा आयोजित नेशनल गेम्स, सिनियर, जुनियर सब जुनियर, स्कूली, ग्रामीण एवं महिला की राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएँ या ऐसी सरकारी राष्ट्रीय खेल टूर्नामेंट जो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघ से मान्यता प्राप्त हो (इसमें आमंत्रण प्रतियोगिताएँ शामिल नहीं है)

(ज) ''अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता'' का अर्थ है ऑलम्पिक खेल, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल, विश्व चैम्पियनशिप, ऐशियन चैम्पियनशिप खेल, एफ्रोएशियन गेम, सैफ गेम्स या अन्य ऐसी मान्यता प्राप्त प्रतियोगिताएँ। इसमें आमंत्रण टूर्नामेन्ट शामिल नहीं है।

3. **योजना का लक्ष्य :–**

(i) खिलाड़ियों को प्रतियोगिताओं के लिए उनकी प्रशिक्षण अवधि के दौरान या प्रतियोगिता के दौरान घायल होने पर तो उन्हें चोट के आधार पर उपयुक्त सहायता देना।

(ii) ऐसे उत्कृष्ट खिलाड़ियों को उपयुक्त सहायता प्रदान करना जिन्होंने राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्य /देश का गौरव बढ़ाया है और अपने कड़े प्रशिक्षण या अन्यथा के कारण अयोग्य हो गयें हैं, उन्हें चिकित्सा उपचार देने हेतु उन्हें सहायता प्रदान करना और यह मानदेय के आधार पर होगा।

(iii) अभावग्रस्त परिस्थितियों में खिलाड़ियों की विपत्ती को दूर करने के लिए, उनके कल्याण के लिए कोष से सहायता प्रदान करना।

(iv) उदीयमान खिलाड़ियों को अभावग्रस्त परिस्थितियों में खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु, खेल उपस्कर, किट आदि के लिए सहायता प्रदान करना ।

(v) अन्य सभी कार्य जो उपरोक्त लक्ष्यों के प्रासंगिक है।

(4) **आवेदन तथा उस पर विचार :–**

(क) ''बिहार राज्य खिलाड़ी कल्याण कोष'' से वित्तीय सहायता हेतु संलग्न प्रोफार्मा में आवेदन प्राप्त किया जायगा।

(ख) प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोष की स्वीकृति हेतु गठित समिति द्वारा विचार किया जायगा और निर्णय लिया जायगा। समिति का निर्णय अंतिम होगा । किसी कारणवश समिति की बैठक निकट भविष्य में होने की उम्मीद न हो तो, प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार और निपटान समिति द्वारा नामित तीन सदस्यों से बनी समिति से परिचालन द्वारा किया जा सकेगा।

(ग) समिति यदि जरूरी समझे तो कारणों को लिखित में दर्ज करके सहायता अनुदान बन्द कर सकती है।

(5) **समिति और उसकी बैठकें**

"बिहार राज्य खिलाड़ी कल्याण कोष" से सहायता अनुदान की स्वीकृति हेतु निम्नलिखित सदस्यों की एक समिति होगी। समिति के मनोनीत सदस्यों का कार्यावधि अधिकतम दो वर्ष की होगी।

समिति अनुदान स्वीकृति के लिए आवश्यकतानुसार अपनी बैठकें करेगी परन्तु हर हालत में उसकी बैठक कम से कम वर्ष में एक बार अवश्य होगी।

समिति–

(i)	सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग–	अध्यक्ष
(ii)	महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण–	उपाध्यक्ष
(iii)	निदेशक (छात्र एवं युवा कल्याण)–	सदस्य सचिव
(iv)	निदेशक सह सचिव, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण–	सदस्य
(v)	अध्यक्ष, बिहार राज्य ऑलम्पिक संघ–	सदस्य
(vi)	दो राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अनुभवी वरीष्ठ खिलाड़ी/प्रशिक्षक –	सदस्य
(vii)	राज्य सरकार अथवा प्राधिकरण द्वारा नामित दो अनुभवी खेल तकनिकी पदाधिकारी –	सदस्य
(viii)	स्वास्थ्य विभाग द्वारा मनोनीत दो चिकित्सक (सिविल सर्जन स्तर के) –	सदस्य

(गणपूर्ति– बैठक गणपूर्ति चार सदस्यों से कम नहीं होना चाहिए)

(6) **कोष से सहायता की मात्रा** :–

(i) एक मुस्त सहायता

इस योजना के अन्तर्गत खिलाड़ी को सहायता अनुदान एक मुश्त रूप में प्रदान किया जायेगा।

(क) प्रशिक्षण के दौरान या अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने में हुई घातक दुर्घटना के लिए अधिकतम 30,000/– रुपये तक।

(ख) खिलाड़ी को कोई घातक चोट के अतिरिक्त कोई अन्य चोट लगने के मामले में अधिकतम 10000/– रुपये। किसी भी मामले में सहायता की राशि 5,000/– रुपये से कम न होगा।

(ग) ऐसे उत्कृष्ट खिलाड़ी के मामले में जो स्थाई तौर पर या अनिश्चित तौर पर सेवा से विकलांग हो गया है को अधिकतम 5,000/– रुपये की राशि।

(घ) चिकित्सा निदान हेतु सहायता– उत्कृष्ट खिलाड़ियों को अभाव परिस्थिति में चिकित्सा निदान के लिए 5000/– से 25000/– तक।

परन्तु उत्कृष्ट खिलाड़ी यदि किसी अन्य योजना जैसे की बीमा योजना से/ अपने नियुक्ति कर्त्ता से सहायता प्राप्त करता है तो इस योजना अन्तर्गत लाभ प्राप्त कर रहा हैं, तो उसे मेडिकल सहायता के लिए तुरन्त सहायता के रूप में अधिकतम 5,000/– रुपये तक की राशि दी जायेगी।

(7) इस संबंध में पूर्व से निर्गत सारे मार्गदर्शिका को निरस्त किया जाता है।

बिहार राज्य खिलाड़ी कल्याण कोष
हेतु
आवेदन पत्र का नमूना

(यदि आवेदक किसी राजपत्रित अधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करता है कि वह आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचना को सत्यापित करता है तो अनुरोध को शीघ्र जाँच करने में सुविधा होगी)

1. आवेदक का नाम :
   (साफ अक्षरो में)
2. पिता का नाम :
3. पूरा डाक पता :
4. स्थायी पता :
5. जन्म तिथि :
   (दस्तावेजी सबूत सहित)
6. वर्तमान व्यवसाय/नियोक्ता
   के नाम एवं पूरा पताः
7. खेल जिसमें भाग लिया था :
8. खेल परिणाम/उपलब्धियाँ (अभिप्रमाणित साक्ष्य के साथ)

खेल	वर्ष	स्थान	टूर्नामेंट का नाम	प्राप्त स्थान	अभ्यिुक्ति

(कृपया सभी राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेन्ट के अवसर पर की गयी दस्तावेजों की प्रतियाँ संलग्न करें)

9. परिस्थितियाँ एवं उद्देश्य, जिसके लिए
   वित्तीय सहायता आपेक्षित हैंः
10. अपेक्षित वित्तीय सहायता की मात्रा :–
11. आवेदक के बैंक बैंलेंस सहित सभी
    स्त्रोतों से आवेदक की वार्षिक आय :
12. सभी स्त्रोतों से इस प्रयोजनार्थ कोई
    वित्तीय सहायता भी ली गई यदि हाँ
    तो प्राप्त सहायता की मात्रा सहित
    व्योरा दीजिए।
13. अन्य कोई संबंधित सूचना।

दिनांकः
स्थानः

आवेदक का पूरा हस्ताक्षर
(नामः)

घोषणा

मै एतद् निश्चयपूर्वक यह घोषणा/करती हूँ कि ऊपर सही है।

दिनांकः

मेरे उपरिथति में हस्ताक्षर किये गये (2 गवाह)

1. नाम एवं पता
2. नाम एवं पता

(आवेदक का हस्ताक्षर)

(हेमचन्द प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 853 / पटना, दिनांक : 04.07.07

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकी मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि राजत्र के अगले अंक में पकाशनार्थ हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि 100 मुद्रित प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

हेमचन्द प्रसाद

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 853 / पटना, दिनांकः 04.07.07

प्रतिलिपि– महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकारण, पटना/ मा0 मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के सचिव/ संयुक्त सचिव/सभी उप निदेशक शा0शि0/प्रमंडलीय अधीशक, शा0शि0/ जिला खेल पदाधिकारी/अधीक्षक/उपाधीक्षक/उपाधीक्षक,शा0शि0 को सूचनार्थ प्रेषित।

हेमचन्द प्रसाद

सरकार के संचुक्त सचिव।

बिहार सरकार

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

(युवा कार्य एवं खेल निदेशालय)

अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में सहभागिता हेतु अनुदान की नीति/मार्गदर्शिका

अधिसूचना

पटना, दिनांकः 04.07.07

संख्या– 2/ब1–17/2006–....45 राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में दल/खिलाड़ियों की सहभागिता हेतु राज्य सरकार की योजना अन्तर्गत अनुदान की स्वीकृति हेतु संशोधित मार्गदर्शिका का निर्धारण निम्नवत् किया जाता है :–

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर हेतु अनुदान

(1) ***पात्रता*** :– मान्यता प्राप्त खेलों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने हेतु राष्ट्रीय खेल परिसंघों द्वारा चयनित बिहार राज्य के खिलाड़ी, जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो, इस अनुदान के पात्र होंगे (भेटरेन खेल को छोड़कर)।

(1.1) भारत सरकार के युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय/विभाग से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु दल की प्रतिभागिता का स्वीकृति पत्र (वित्तीय सहायता सहित अथवा वित्तीय सहायता रहित) संलग्न करना आवेदक के लिए अनिवार्य होगा। या, संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघ द्वारा इस आशय का उल्लेख चयन पत्र में हो।

(1.2) यह अनुदान केन्द्र सरकार/राष्ट्रीय खेल संघ द्वारा वित्तीय सहायता की अनुपलब्धता की स्थिति में ही अनुमान्य होगां

(1.3) नौकरी करने वाले खिलाड़ी अपने नियोक्ता के माध्यम से अनुदान हेतु आवेदन देना होगा। उनके नियोक्ता द्वारा वित्तीय सहायता मिलने की स्थिति में उन्हें यह अनुदान अनुमान्य नहीं होगां

(2) ***अनुमान्य अनुदान***

(2.1) राज्य से देश के बाहर आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के स्थान पर जाने एवं वापस लौटने हेतु रेल/वायुयान भाड़ा।

(2.2) भारत से आयोजन स्थल/देश की दूरी तथा यात्रा की अवधि को ध्यान में रखते हुए खिलाड़ी के आकस्मिक खर्च हेतु 10,000/– से 25,000/– रुपये तक की राशि।

(3) इस अनुदान के लिए खिलाड़ी का चयन राज्य सरकार द्वारा विभागीय सचिव की अध्यक्षता में गठित अनुदान समिति द्वारा किया जायगा। समिति/सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

(4) स्वीकृत अनुदान की राशि का 50 % ही अग्रिम के रूप में दिया जायगा। शेष 50% की राशि प्रतिभागिता के पश्चात् खर्च का ब्यौरा, रेल/वायुयान यात्रा के टिकट की स्पष्ट छाया प्रति, खिलाड़ी की प्रतिभागिता से संबंधित दो छाया चित्र, परिणाम, प्रमाण–पत्र आदि तुरंत (पन्द्रह दिनों के भीतर) समर्पित करना अनुदान स्वीकृत के लिए अनिवार्य होगा।

(5) खिलाड़ी को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेकर लौटने पर तुरन्त अपनी उपलब्धि/परिणाम की सूचना अनुदान स्वीकृति हेतु सरकार को देना अनिवार्य होगा।

(6) पूरे अनुदान के भुगतान प्राप्ति के एक माह के अन्दर व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र अभिश्रव निदेशालय को समर्पित नहीं करने पर खिलाड़ी अगले अनुदान के लिए आयोग्य समझा जायगा और ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

राष्ट्रीय स्तर हेतु अनुदान

(1) **पात्रता** :– सरकारी राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले बिहार दल/खिलाड़ियों की प्रतिभागिता हेतु राज्य के राष्ट्रीय परिसंघ से मान्यता प्राप्त राज्य खेल संघों/भारतीय ऑलिम्पिक संघ से मान्यता प्राप्त बिहार ऑलिम्पिक संघ इस अनुदान के पात्र होंगे।

(2) **अनुमान्य राष्ट्रीय प्रतियोगिताएँ**

(क) राष्ट्रीय प्रतियोगिता (नेशनल चैम्पियनशिप) सिनियर, जुनियर तथा सबजुनियर/कैडेट वर्ग या

(ख) राष्ट्रीय खेल (भारतीय ऑलम्पिक संघ द्वारा आयोजित) हेतु

(3) **अनुमान्य अनुदान**

(क) उपरोक्त राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु (राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप) दल एक प्रशिक्षक एवं एक प्रबंधक सहित राज्य से आयोजन स्थान/राज्य तक जाने एवं वापस लौटने हेतु रियायती द्वितीय श्रेणी स्लीपर रेल भाड़ा।

(ख) प्रतिभागी दल के सदस्यों के लिया यात्रा की अवधि में भोजन व्यय हेतु 100/– (एक सौ) रुपये प्रति सदस्य की दर से राशि देय होगा।

ज्ञापांक 852 / पटना, दिनांकः 04.07.07

प्रतिलिपि– महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना/मा0 मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के सचिव/संयुक्त सचिव/सभी उप निदेशक, शा0शि0/प्रमंडलीय अधीक्षक, शा0शि0/जिला खेल पदाधिकारी/अधीक्षक/उपाधिक्षक, शा0शि0 को सूचनार्थ प्रेषित।

हेमचन्द प्रसाद

सरकार के संयुक्त सचिव।

(ग) राष्ट्रीय प्रतियोगिता में निःशुल्क भोजन व्यवस्था नहीं होने को प्रमाण करने पर राष्ट्रीय प्रतियोगिता की अवधि का भोजन व्यय 100/– रूप्ये प्रति सस्य की दर से देय होगा।

(घ) नेशनल गेम्स में भाग लेने वाले दल को खेल पोशाक आदि भी उपलब्ध कराये जाने पर विचार किया जायगा यदि निधि उपलब्ध होगी।

(4) राज्य के कम से कम बीस जिलों मं सम्बद्ध ईकाईयों वाले मान्यता प्राप्त राजय खेल संघो को ही अनुदान के लिए योग्य माना जायगा। इसके लिए जिला इकाईयों की सूची संलग्न करना अनिवार्य होगा। साथ ही राज्य संघ उनके निमावली के आधार पर चुनाव, संघ के पदाधिकारीयों के नाम की घोषणा, संघ के बैंक एकाउन्ट पैन नम्बर, आयकार रिर्टन का जमा होगा आदि की भी बाध्यता होगी।

(5) राज्य खेल संघो को आवेदन के साथ अपने संघ का मेमोरेन्डम ऑफ आर्टिकल सुलभ प्रसंग हेतु संलग्न करना भी अनीवार्य होगा।

(6) राज्य खेल संघ को अनुदान के भुगतान के तीन माह के भीतर व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र अभिश्रव के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। साथ ही चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के एक माह के भीतर संघ द्वारा अंकेक्षित प्रतिवेदन जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा अगले वित्तीय वर्ष में अनुदान हेतु आयोग्य माना जायगा।

(7) इस योजना हेतु उपबंधित कुल राशि का 10% विकलांग खेल संघ/संस्थाओं के लिए कर्णाकित रहेगा।

उपरोक्त अनुदान संबंधित किसी प्रकार के अन्य नीति/शर्त सरकार के स्तर पर किसी भी समय निर्धारित किये जोने पर पूर्व से आवेदित संघ पर भी लागू होगा।

इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत सरे मार्गदर्शिका को निरस्त किया जाता है।

हेमचन्द प्रसाद

सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार सरकार
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग
(युवा कार्य एवं खेल निदेशालय)
अन्तर्राष्ट्रीय /राष्ट्रीय/ राज्य स्तरीय टूर्नामेंट के आयोजन के लिए अनुदान हेतु मार्गदर्शिका

अधिसूचना

पटना, दिनांकः...04.07.07

संख्या–2/व1–17/2006.........42.......... राज्य सरकार के द्वारा अनुदान हेतु आवेदन पत्र दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन द्वारा विहित प्रपत्र में सामान्यतः प्रत्येक साल के मई माह में आमंत्रित किये जायेंगे :–

1. **पात्रता :–**

(i) भारतीय ऑलम्पिक संघ से मान्यताप्राप्त/भारतीय खेल प्राधिकरण की योजना में सम्मिलित खेल विधा के राज्य खेल संघ इस अनुदान के पात्र होंगे ।

(ii) अनुदान हेतु खेल संघों को निम्नांकित पात्रता रखना आवश्यक होगा।

(क) सम्बन्धित राज्य संघ की कम से कम 20 जिला ईकाई हो।

(ख) राज्य खेल संघ या फेडरेशन विवादित नहीं हो।

फेडरेशन विवादित होने की स्थिति में भारतीय ऑलम्पिक संघ या भारत सरकार तथा राज्य संघ के विवादित होने की स्थिति में गैर विवादित फेडरेशन के द्वारा दिया जाने वाला मान्यता मान्य होगा।

(ग) राज्य खेल संघ का अपना बायलॉज हो तथा बायलॉज के अनुकूल निर्धारित समय पर चुनाव हुआ हो साथ ही संघ के राज्य जिला इकाई के पदाधिकारियों कार्यकारणी सदस्यों एवं मान्यता प्राप्त जिला इकाईयों का नाम पोषित हो।

(घ) संघ का बैंक एकाउन्ट हो तथा पैन नम्बर हो साथ ही आयकर रीर्टन भरा जाता हो।

(ड.) पूर्व में यदि अनुदान दिये गये हो तो उसकी उपयोगिता प्रमाण–पत्र सरकार को ससमय जमा किया गया हो।

(च) सम्बंधित संघ द्वारा वार्षिक खेल कार्यक्रम जारी किया जाता हो तथा उसकी सूचना राज्य सरकार को दी जाती हो।

(छ) अनुदान हेतु दिये गये आवेदन में सम्बधित आयोजन का प्रस्तावित बजट संलग्न हो तथा याचित अनुदान से सम्बंधित प्रतियोगिता हेतु ऑलम्पिक, भारत सरकार, भारतीय खेल प्राधिकरण या फेडरेशन से प्राप्त होने वाली सहायता राशि का विवरण अंकित होना अनिवार्य होगा।

2. **अनुदान हेतु योग्य प्रतियोगिता :–**

(i) राज्य/राष्ट्रीय/अर्न्तराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु अनुदान अनुमान्य होगा किसी प्रकार के स्मृति , संगीत, आमंत्रण एवं गैर वर्गीय टूर्नामेंट के लिए अनुदान देय नहीं होगा।

(ii) राज्य प्रतियोगिता :– सम्बंधित खेल संघ के कैलेन्डर में निर्धारित कार्यक्रम सीनीयर, जुनीयर, सब जुनीयर, राज्य प्रतियोगिता के लिए।

(iii) राष्ट्रीय प्रतियोगिता :– सम्बंधित खेल संघ के कैलेन्डर में निर्धारित कार्यक्रम सीनीयर, जुनीयर सब जुनीयर राज्य प्रतियोगिता के लिए।

(iv) राष्ट्रीय प्रतियोगिता :– सम्बंधित राष्ट्रीय खेल फेडरेशन/या भारतीय ऑलम्पिक संघ के द्वारा प्रतियोगिता आवंटित हो तथा इसके लिए राज्य सरकार की भी सहमति प्राप्त हो।

(vi)अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगताः– भारत सरकार, भारतीय ऑलम्पिक संघ एवं सम्बंधित फेडरेशन द्वारा आवंटित हो तथा इसके लिए राज्य सरकार से पूर्वानुमति ली गयी हो।

3– **अनुदान की अधिकतम सीमा :–**

क्र0सं0	प्रतियोगिता का स्तर	सीनियर	जुनियर	सब जुनियर	अभ्युक्ति
01.	राज्यचैम्पियनशिप (अन्तर जिला प्रतियोगिता)	20000	15000	10000	न्यूनतम 15 जिला की प्रतियोगिता आवश्यक पर्यवेक्षण जिला खेल पदाधिकारी
02.	राष्ट्रीय स्तर (नेशनल चैम्पियनशिप)	500000	300000	300000	न्यूनतम 20 राज्य की प्रतियोगिता आवश्यक पर्यवेक्षक– विभाग द्वारा प्रतिनियुक्त
03.	राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता/ अन्तर राज्य प्रतियोगिता एवं अर्न्तराष्ट्रीय स्तर	100000	800000	500000	छ माह पूर्व आवेदन देना होगा। पर्यवेक्षक– विभाग

अन्यान्य

1. प्रतियोगिता प्रारम्भ होने के पूर्व 50 % राशि का भुगतान किया जायेगा। शेष 50 % की राशि प्रतियोगिता के पश्चात भुगतान किया जायेगा।

2. प्रतियोगिता समाप्ति के एक माह के अन्दर व्यय विवरणी तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र (छाया प्रति अभिश्रव सहित) जमा करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने वाले संघ को आगे के लिए अनुदान हेतु आयोग्य कर दिया जायेगा तथा आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

4. अनुदान संबंधित किसी प्रकार के अन्य नीति/शर्त सरकार के स्तर पर किसी भी समय निर्धारित किये जाने पर पूर्व से आवेदित मामलों पर भी लागू होगा।

ज्ञापांक– 854 / पटना, दिनांकः 04.07.07

प्रतिलिपि– महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना/मा0 मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के सचिव/संयुक्त सचिव/सभी उप निदेशक, शा0शि0/प्रमंडलीय अधीक्षक, शा0शि0/जिला खेल पदाधिकारी/अधीक्षक/उपाधिक्षक, शा0शि0 को सूचनार्थ प्रेषित।

हेमचन्द प्रसाद

सरकार के संयुक्त सचिव।

5. अनुदान की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा गठित अनुदान समिति की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। इस सम्बंध में विभागीय निर्णय अंतिम होगा।

6. इस योजना हेतु कुल राशि का 10% विकलांग खेल संघों/संस्था के लिए कर्णाकित रहेगा।

7. प्रतियोगिता सम्पन्न हो चुकने की स्थिति में प्रतियोगिता जिला/राज्य की सूची के साथ आयोजन संबंधी छायाचित्र एवं प्रेस कतरन जमा करना अनिवार्य होगा। यदि प्रतियोगिता आवेदन समर्पित करने के बाद आयोजित होती है तो आयोजन पश्चात् प्रतिभागी जिला/राज्य की सूची आयोजन संबंधी छाया चित्र एवं समाचार पत्र का कतरन आदि ससमय विवरणी के साथ संलग्न करना होगा।

8. इस संबंध में निर्गत पूर्व के मार्गदर्शिका को निरस्त किया जाता है।

हेमचन्द प्रसाद

सरकार के संचुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 851 / पटना, दिनांकः 04.07.07

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि 100 मुद्रित प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(हेमचन्द प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव।

प्रतिलिपि– महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना/मा0 मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के सचिव/संयुक्त सचिव/सभी उप निदेशक, शा0शि0/प्रमंडलीय अधीक्षक, शा0शि0/जिला खेल पदाधिकारी/अधीक्षक/उपाधिक्षक, शा0शि0 को सूचनार्थ प्रेषित।

हेमचन्द प्रसाद

सरकार के संयुक्त सचिव।